संख्या:41/2022/177/35-3-2022-1(32)/2016

प्रेषक,

ऋषिकेश दूबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या प्रभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक:07 जुलाई,2022

विषय: **गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली द्वारा सैलरी मद ओएच-36 के अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश रू0 1,29,00,000/- के समतुल्य राज्यांश उ0प्र0 शासन द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-424/ले.-91/2004(2) दिनांक 06-06-2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के पत्रांक-5-11/2021 आर.आई.सी. दिनांक 01.07.2021, पत्रांक-5-11/2021 आर.आई.सी. दिनांक 08.07.2021, पत्रांक-5-11/2021 आर.आई.सी. दिनांक 16.09.2021, पत्रांक-5-11/2021 आर.आई.सी. दिनांक 27.10.2021, पत्रांक-5-11/2021 आर.आई.सी. दिनांक 09.12.2021, पत्रांक-5-11/2021 आर.आई.सी. दिनांक 23.12.2021, पत्रांक-5-11/2021 आर.आई.सी. दिनांक 31.01.2022, पत्रांक-5-11/2021 आर.आई.सी. दिनांक 25.02.2022, पत्रांक-5-11/2021 आर.आई.सी. दिनांक 22.03.2022, में स्वीकृत सैलरी मद (ओएच 36) के अन्तर्गत स्वीकृत कुल केन्द्रांश रू0 1,29,00,000/- (रू0 एक करोड उन्तीस लाख मात्र) के सापेक्ष समतुल्य मेचिंग राज्यांश की धनराशि रू. 1,29,00,000/- (रू0 एक करोड उन्तीस लाख मात्र) की वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध बजट व्यवस्था में से निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

1. अनुदान का भुगतान करने के लिए बिल आहरण हेतु गिरि विकास अध्ययन संस्थान लखनऊ द्वारा बनाया जायेगा एवं उस पर अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।
2. अनुदान के उपयोग के सम्बन्ध में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. कोषागार में उतनी ही धनराशि समय समय पर संस्थान द्वारा आहरित की जायेगी, जिसके भुगतान की तात्कालिक आवश्यकता हो, कोषागार से आहरित की जाने वाली धनराशि की आवयकता का आंकलन परीक्षण जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत मद में संस्थान के सम्बन्धित बैंक आदि खातों में उपलब्ध धनराशि के आधार पर करते हुए यथा आवश्यक धनराशि के आहरण हेतु बिल प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
4. उपरोक्त अनुदान का कोई भी भाग ऊपर वर्णित मदों के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लाया जायेगा। अवमुक्त की जा रही राज्यांश धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। अनुदान की आगामी किश्त की मांग के समय उपर्युक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निधारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराया जायेगा।
5. इस अनुदान पर राजज्ञा संख्या-ए-2364/दस-17/2(1)/67,दिनांक 20 जुलाई, 1971 के संलग्नक में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।
6. उत्तर प्रदेश शासन से स्वीकृत अनुदान के लेखेजोखे पृथक से रखे जायेंगे तथा उनका निरीक्षण-, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की इच्छा अनुसार किसी भी समय किया जा सकेगा तथा परीक्षण राज्य सरकार के नियोजन विभाग के अधिकारियों एवं निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा जब कभी वे चाहेंगे, किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. संस्थान को स्वीकृत उक्त अनुदान का उपयोग पत्र संस्-थान द्वारा आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, लखनऊ के माध्यम से महालेखाकार,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं शासन को समयान्तर्गत भेजा जायेगा। आगामी किश्त की मांग के समय वित्तीय वर्ष 2021-22 के व्यय के आडिटेड ब्यौरों को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 1,29,00,000 (रुपये एक करोड़ उन्तीस लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखा शीर्षक 3451008000500 गिरी विकास अध्ययन संस्थान;लखनऊ को अनुदान मानक मद 31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(ऋषिकेश दूबे)
विशेष सचिव।

संख्या:41/2022/177/35-3-2022-1(32)/2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकारउत्तर प्रदेश (लेखा एवं हकदारी), इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसरआडिटर प्लानिंग कार्यालय (महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन,15 थार्नहिल रोड इलाहाबाद।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6. उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या,लखनऊ।
7. अर्थ एवं संख्याधिकारी,लखनऊ।
8. सदस्य-सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, पोस्ट बाक्स नं.10580, अरूणा आसफ अली मार्ग,नई दिल्ली।
9. निदेशक, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11. नियोजन अनुभाग-1
12. गार्ड फाइल/ स्वीकृत पंजी।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दूबे)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।